

212 RTA 15/2020 शंकर अरुण लक्ष्मीलाल वर्मा

26/3/25

पत्रावली पेश हुई। जागीर एवं जागीर आधिकारिता अर्थात् जागीर एवं जागीर आधिकारिता की नियमानुसार तीन आबखाने लगावाई गई। परन्तु कोई उपस्थिति नहीं आती। जागीर एवं जागीर आधिकारिता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आते हैं जागीर द्वारा उद्भूत मूल बाद हैं 26/2020 अदम हाजरी। अदम पौबी में खारिज किया जा चुका है अतः मूल बाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्व-भाज कारखाने आधिकारिता अदम हाजरी। अदम पौबी में खारिज होने से जागीरिंग द्वारा उद्भूत जागीरिंग पर अन्तर्गत धारा 212 राजस्व कारखाने आधिकारिता को अदम हाजरी। अदम पौबी में खारिज जाता है।

निधि से इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी शुमार लेका राष्ट्रीय दफ्तर हो गया अन्तर्गत से कम है।

26/3
सहायक जज
दफ्तर